

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल 2013—चैत्र 20, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-01.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में ऊर्जा विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी. (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी.	11 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता
			16 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियन्ता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियन्ता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3(अ)	जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु मांग-पत्र जारी करना.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	4 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3(ब)	जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.4	जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.5	जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत निम्न दाब के प्रकरणों में भारवृद्धि करना.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.6	निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच करना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी	22 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.7	निम्न दाब संयोजन के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण.	(अ) शहरी क्षेत्र जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता.	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता.
		(ब) ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी.	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता.	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
श्रम विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. शहरी क्षेत्र (अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी. (ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है. 1. आयुक्त नगर निगम 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व. कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है.				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.3	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है.				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ हैं वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है.				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		शहरी क्षेत्र				
		1. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		2. नगर पालिका/ नगर परिषद् के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
2.6	दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.7	दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-03.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार.	उपयंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.2	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार.	उपयंत्री	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.3	पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना.	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री	10 कार्य दिवस	अधीक्षण यंत्री

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
राजस्व विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.2	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय.	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी.	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.6	वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.7	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र.	नजूल अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.8	शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र	(अ) तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में). (5 लाख रुपये तक). (ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (25 लाख रुपये तक) (स) कलेक्टर, (25 लाख रुपये से ऊपर)	30 कार्य दिवस 45 कार्य दिवस 45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. कलेक्टर संभागायुक्त	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव राजस्व
4.9	राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना.	संबंधित कार्यालय की प्रतिलिपि शाखा का प्रभारी अधिकारी	15 कार्य दिवस	तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. जिला स्तर पर-कलेक्टर संभाग स्तर पर-संभागायुक्त	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव, राजस्व.
4.10	अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना.	प्रभारी अधिकारी रिकार्ड रूम (तहसील में निर्दिष्ट तहसीलदार, जिलों में संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर). संभागीय रिकार्डरूम उपायुक्त राजस्व/प्रभारी अधिकारी.	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	तहसील में—अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. जिले में—कलेक्टर संभागायुक्त	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव, राजस्व.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.11	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	(अ) तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में) (15 हजार रुपये तक)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
	1. फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता.	(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (रुपये 30 हजार तक)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
	2. पशु/पक्षी (मुर्गी/ मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता.					
	3. नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.	(स) कलेक्टर (रु. 30 हजार से अधिक के प्रकरण).	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	सचिव, राजस्व.
	4. कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.					
	5. लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता.					
	6. मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था.					
	7. कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता.					
	8. बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता.					
	9. अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	10. बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता.					
	11. प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायता.					
	12. कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता.					
	13. बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता.					
4.12	बंटवारा के आदेश के पश्चात् नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात् अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.13	भूमि का सीमांकन करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.14	अविवादित नामांतरण करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.15	अविवादित बंटवारा करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1(अ)	जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदाय किया जाना.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो).	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.1(ब)	मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो).	15 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
5.2	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र).	अनुविभाग्य अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.3	नगरीय क्षेत्रों के हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार.	1. नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	7 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम.	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
5.4	पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना.	(अ) जिन निकायों में प्रयोगशाला उपलब्ध है.				
		नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	10 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	10 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम.	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जिन निकायों में प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है.				
		1. जल का सेम्पल लेना तथा प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजना.				
		नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	10 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	5 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरपालिक निगम.	10 कार्य दिवस	कलेक्टर
		2. प्रयोगशाला में जल के सेम्पल की टेस्टिंग तथा टेस्ट रिपोर्ट देना.				
		लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी.	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	10 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सट-लोसेप्र-पी.एस.जी-06.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	स्थानीय निवासी प्रामण-पत्र जारी करना.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
6.2	आय प्रामण-पत्र प्रदाय करना.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
6.3	जाति प्रामण-पत्र प्रदाय करना.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
6.4	राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय.	तहसीलदार	3 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सट-लोसेप्र-पी.एस.जी-07.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का

पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
सामाजिक न्याय विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथमबार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथमबार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(अ) आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			60 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
			60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. नगरीय क्षेत्र के लिए (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
			30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
			30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-08.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.1	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन-पत्र का समाधान करना.	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-09.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.1	नवीन बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र सहायक आपूर्ति अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसीलदार	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.2	नवीन ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्र आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.3	डुप्लीकेट बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र. सहायक आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसीलदार	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.4	डुप्लीकेट ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी करना.	जिला मुख्यालय में स्थित नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	15 कार्य दिवस	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्र. आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद, पंचायत.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
9.5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना.	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिये जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
				जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में वन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
वन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1	वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान.	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक.	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.2	वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान.	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक.	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक.
10.3	वन्य प्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान.	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक.	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक.
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान—					
	1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण.	वनमण्डलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन).
	2. पृथक् लॉट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण.	वनमण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन).
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना.	1. शासकीय काष्ठागार हेतु— काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी.	3 कार्य दिवस	उप वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु— परिक्षेत्राधिकारी.	10 कार्य दिवस	उप वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमिस्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु— उप वनमंडलाधिकारी.	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-13.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.1	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना.	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि.	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि.	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.2	रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण.	संबंधित जिले के उप संचालक, कृषि.	30 कार्य दिवस	संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, कृषि.	15 कार्य दिवस	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.1	लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करना.	बाल विकास परि- योजना अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला महिला बाल विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
14.2	पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना.	बाल विकास परि- योजना अधिकारी.	7 कार्य दिवस	जिला महिला बाल विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास.	7 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर 2011 में परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.1	लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.2	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.3	वाहन का पंजीयन	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर 2011 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.1	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सट-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.1	अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी.	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त
17.2	अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी.	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त
17.3	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत लघु श्रेणी के उद्योगों को सम्मति.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	120 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
17.4	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत वृहद्/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सम्मति.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल.	120 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	30 कार्य दिवस	सचिव, आवास एवं पर्यावरण
17.5	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी	प्रभारी अधिकारी, वास्तुविद शाखा	20 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.6	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति/आपत्ति प्रदाय करना.	प्रभारी अधिकारी वास्तुविद् शाखा.	20 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-18.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.1	जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) नगरीय क्षेत्र— स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्)	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
			7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
18.2	मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) नगरीय क्षेत्र— स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्)	7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर
			7 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.3	जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
18.4	मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
18.5	जन्म प्रमाण-पत्र	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक.	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र— स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
18.6	मृत्यु प्रमाण-पत्र	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक.	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नगरीय क्षेत्र— स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगरपालिका/ नगर परिषद्)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
18.7	विवाह पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		नगरीय क्षेत्र— स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/ नगर परिषद्)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-19.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
वित्त विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.1	पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन/	(अ) संबंधित की पुस्तिका संधारित करने वाला जिला स्तरीय अथवा	30 कार्य दिवस	संबंधित विभाग के संभागीय कार्यालय का प्रमुख	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन/ जिला पेंशन कार्यालय भेजना.	उससे न्यून स्तर के कार्यालय का कार्यालय प्रमुख (जिसके विभाग का संभागीय कार्यालय है)					
	(ब) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला जिला स्तरीय अथवा उससे न्यून स्तर के कार्यालय का कार्यालय प्रमुख (जिसके विभाग का संभागीय कार्यालय नहीं है)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
	(स) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला संभागीय कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस	संबंधित विभागाध्यक्ष	
	(द) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.	30 कार्य दिवस	संबंधित विभाग के सचिव	30 कार्य दिवस	—	
	(इ) संबंधित की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाला मंत्रालय का कार्यालय प्रमुख.	30 कार्य दिवस	सचिव, सामान्य प्रशासन	30 कार्य दिवस	—	
19.2 पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण करने पर पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश जारी करना.	संभागीय पेंशन अधिकारी/ जिला पेंशन अधिकारी	30 कार्य दिवस या सेवानिवृत्ति की तिथि से 10 कार्य दिवस पूर्व, जो भी बाद में हो	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
19.3 पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान.	कोषालय अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.1	गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	15 कार्य दिवस	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.
20.2	परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	15 कार्य दिवस	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.
20.3	टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु).	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	15 कार्य दिवस	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.
20.4	रोजगार कार्यालय में पंजीयन	जिला रोजगार अधिकारी	01 कार्य दिवस	संभाग स्तरीय जिला कार्यालय के उप संचालक (रोजगार)	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.
20.5	रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण	जिला रोजगार अधिकारी	01 कार्य दिवस	संभाग स्तरीय जिला कार्यालय के उप संचालक (रोजगार)	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.
20.6	माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राइजेज डवलपमेन्ट एक्ट, 2006 के तहत मेमोरैण्डम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	01 कार्य दिवस	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय.	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.7	चिह्नित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	03 कार्य दिवस	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-21.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.1	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना	सहायक कुलसचिव	03 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.2	प्रोवीजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना.	सहायक कुलसचिव	02 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.3	अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना.	सहायक कुलसचिव	02 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.4	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना	सहायक कुलसचिव	15 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.5	शोध प्रबंध (Thesis) प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना.	सहायक कुलसचिव	180 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव.